REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082022-238415 CG-DL-E-26082022-238415

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2022/भाद्र 4, 1944 No. 583] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2022/BHADRA 4, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 659(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 निम्न्लिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109, धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्याक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), ईमेल:comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (...... संशोधन) नियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) बशर्ते, अन्यथा इन नियमों में निहितानुसार ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, नियम 124 में, उप-नियम (4) में, तालिका में, क्रमांक 22 के बाद, नया क्रमांक 23 और इससे संबंधित प्रविष्टियोँ को अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्-

क्र.सं.	घटक		इस तिथि को और इस तिथि से निर्मित वाहनों के लिए प्रभावी
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	लिए ट्रैक्शन बैटरी	का.आ. 1365(अ) दिनांकित 13.12.2004 की क्र.सं. 26 और 49, का.आ. 2211(अ) दिनांकित 01.06.2018 की क्र.सं. 18 और 32 और का.आ.2590(अ) दिनांकित 08.10.2014 की क्र.सं. 4 और 6	

[फा. सं. आरटी-11036/60/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2जून,1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि........(अ), दिनांकितद्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August 2022

G.S.R. 659(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 109, Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (......Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules), in rule 124, in sub-rule (4), in the TABLE, after Serial No. 22, insert new Serial No. 23 and the entries relating thereto, namely.-

Sl. No.	Component	Reference Rule	Effective for vehicles manufactured on and from
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Traction Battery for Electric Power train Vehicles	Sl. No. 26 and 49 of SO 1365 (E), dated 13.12.2004, Sl. No. 18 and 32 of S.O. 2211 (E) dated 01.06.2018 and Sl. No. 4 and 6 of S.O. 2590 (E) dated 08.10.2014	1 st October 2022

[F. No. RT-11036/60/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. (E) dated _____.

3